

कहा कि ६ माह बाद भी सरकार से सहायता नहीं मांग रहा है। ऐसे में सरकार को अंतर्गत मौका दिया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता पीपुल मीटालो ने उपस्थित होकर कहा कि नई क्षेत्र को जमीन के कई खंडों पर अतिक्रमण हो गया है और जेडई कईयों का नियमन कर रहा है। पर जेडीए के अधिकारता ने कहा—

जेडीए को ओर से अतिक्रमण लगाता कार्रवाई की जा रही है। इस अलावा कई लोग विभिन्न आदतों जाकर स्थगन आदेश ले आते हैं। पर खंडीट ने जेडीए को जाना—

अतिक्रमण और मुकदमों का याचिका पेश करने के आदेश देते हुए रा. स.प. का न्यायमित्र को रिपोर्ट उपकरा रिस्थान पेश करने के आदेश दिए हैं।